न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 43 / 22 दायरा दिनांक 15.07.2022

1–बृजमोहन पुत्र जयसिंह उम्र 30 वर्ष जाति अहीर निवासी दांता केलवाडा तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

2–थानसिंह पुत्र जयसिंह उम्र 25 वर्ष जाति अहीर निवासी दांता केलवाडा तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

3–सुखिया उर्फ फूलवती पुत्री जयसिंह उम्र 28 वर्ष जाति अहीर निवासी दांता केलवाडा तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

4–सावित्री पत्नि जयसिंह उम्र 30 वर्ष जाति अहीर निवासी दांता केलवाडा तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1–साहबसिंह पुत्र बाबू जाति अहीर निवासी बल्हारपुर तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

2–छोटू उर्फ कृष्णगोपाल पुत्र साहबसिंह जाति अहीर निवासी बल्हारपुर तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय–दिनांक 01.05.2025

उपस्थित– वादीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – श्री पंकज कुमार शर्मा एडवोकेट

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कस्बानोनेरा पटवार क्षेत्र कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 में खाता संख्या 31 की आराजी ख0नं0 348 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 352 रकबा 2.04 बीघा किता 2 कुल रकबा 3.19 बीघा स्थित है, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी वादीगण के खाते कब्जे की है जिसे वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है इसके बाद भी प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की नीयत से जून 2022 से धमकी दे रहे हैं कि वे विवादित आराजी वादीगण को अथवा वादीगण के प्रतिनिधी को काश्त नहीं करने देंगे। यदि किसी ने भी काश्त करने का प्रयास किया तो जान से खतम कर देंगे। प्रतिवादीगण की इस धमकी से वादीगण के हक हकूक मालिकाना को भारी खतरा पैदा हो गया है प्रतिवादीगण अपने मंसूवे में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं होगा भारी असुविधा होगी तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा इस कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं। वाद कारण जून 2022 में प्रतिवादीगण के धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वाद को श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क अवधि मध्य पेश है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा ... कि वह विवादित आराजी खाता संख्या 31 की आराजी ख0नं0 348 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 352

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

रकबा 2.04 बीघा किता 2 कुल रकबा 3.19 बीघा के किसी भी भाग से वादीगण को बेदखल नहीं करें, न ही काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई जबाव पेश नहीं किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य में वादी थानसिंह के बयान कराये गये और जमाबंदी ग्राम कस्बानोनेरा संवत 2071–74 खाता संख्या 31 को प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्श कराया गया।

वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 जमाबंदी अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 348 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 352 रकबा 2.04 बीघा किता 2 कुल रकबा 3.19 बीघा ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद वादीगण के खाते की होना साबित है, जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख0नं0 348 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 352 रकबा 2.04 बीघा किता 2 कुल रकबा 3.19 बीघा ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहाबाद बावत वादीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करेगे, न अन्य से करावेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

01.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:20 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner